प्राचार्य का कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पत्रांकः–....................../26 दिनांकः–.........................

कार्यालय आदेश

सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 06.01.2026 को विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी। जिसमें सभी चिकित्सक शिक्षकों की AEBAS के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने हेतु निदेशित किया गया है एवं ससमय उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले चिकित्सक शिक्षकों का विवरण प्रत्येक सप्ताह के अंत में विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही अध्ययनरत छात्रों के पठन–पाठन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने एवं समुचित अनुश्रवण करने के उद्येश्य से प्रत्येक सप्ताह छात्रों एवं Faculty wise class Attendance report विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में सभी चिकित्सक शिक्षक को निदेश दिया जाता है कि AEBAS के माध्यम से अपनी–अपनी उपस्थिति ससमय दर्ज करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले चिकित्सक शिक्षकों की सूची तैयार कर प्रत्येक सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य विभाग को भेज दी जायेगी। साथ ही सभी विभागाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक सप्ताह छात्रों एवं Faculty wise class Attendance report अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को ससमय अवगत कराया जा सके।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः– 258/26 मुज0, दिनांकः– 03/02/26

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/सभी चिकित्सक शिक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सूचना पट्ट पर चिपकाने एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन
K. [signature] 03/02/2026
प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

दिनांक–06.01.2026 को श्री लोकेश कुमार सिंह, भा०प्र०से०, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी ...सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के साथ समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में 11 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल संचालित हैं। जिसमें UG पाठ्यक्रम में 1420 एवं PG पाठ्यक्रम में 790 तथा DNB पाठ्यक्रम में 109 सीटों पर पठन–पाठन की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही 02 नये मेडिकल कॉलेज (श्रीराम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल समस्तीपुर तथा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा) में OPD सेवा प्रारम्भ की जा चुकी है। चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित निदेश दिए गए :–

(1) **सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के चिकित्सको की उपस्थिति–** NMC द्वारा AEBAS के माध्यम से न्यूनतम 75% उपस्थिति दर्ज कराने का निदेश प्राप्त है। सभी प्राचार्यों को निदेश दिया गया कि सभी चिकित्सक शिक्षकों की AEBAS के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें एवं जिनके द्वारा ससमय उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है, उन चिकित्सक शिक्षकों का विवरण प्रत्येक सप्ताह के अंत मे विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि छात्रों के पठन–पाठन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने एवं समुचित अनुश्रवण करने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह छात्रों एवं Faculty wise class Attendance report विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन–प्राचार्य एवं अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)

(2) सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में NMC के द्वारा किए गए जॉच के क्रम में कुछ त्रुटियाँ परिलक्षित हुई थी। जिसमें कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा त्रुटियों को दूर कर लिया गया है। अभी भीं कुछ चिकित्सा महाविद्यालय – जैसे – पावापुरी, बेतिया, मधेपुरा में –Bed Occupancy, Birth/Delivery, Lab & Radiology, Cadaver, Histopathology, Cytopathology, Family adoption program इत्यादि के संबंध में NMC द्वारा दोबारा की गयी जाँच के क्रम में भी कमी पाई गई है। सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक को निदेश दिया गया कि NMC द्वारा इंगित कमियों को दूर कर 15 दिनों के अंदर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराये।

(3) साथ ही NMC के द्वारा UG सीट की बढ़ोत्तरी हेतु Online Portal Open किया गया है। जिसकी अंतिम **तिथि 28.01.2026** है। सभी चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य को निदेशित किया गया कि NMC के प्रावधानों के अनुरूप सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हुए

अपने संस्थान में वर्ष 2026–27 के लिए सीट बढोत्तरी हेतु आवेदन की प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर ली जाय। साथ ही सीटों की बढोत्तरी हेतु विभागवार उपकरणों की कमी (NMC के अनुसार) को पूरा करने हेतु आवश्यक सूचना सात दिनों के भीतर बी0एम0एस0आई0सी0एल0 एवं विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–प्राचार्य एवं अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)

(4) **MRI मशीन अधिष्ठापन के संबंध में**– NMC के निर्देश के आलोक में वैसे संस्थान जहॉ रेडियोलॉजी विभाग में पी0जी0 की पढ़ाई चल रही है उस संस्थान में MRI मशीन स्थापित होना आवश्यक है। प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा, पूर्णिया एवं बेतिया को अगले माह तक MRI अधिष्ठापन की प्रक्रिया पूर्ण कर विभाग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अधीक्षक, चिकित्सामहाविद्यालय एवंअस्पताल एवं बी0एम0एस0आई0सी0एल0)

(5) **Anatomy Department में CADAVER की उपलब्धता**–NMCद्वारा विभिन्न संस्थानों को दिए गए Show Cause Notice के समीक्षोपरान्त पाया गया कि प्रथम वर्ष एम0बी0बी0एस0. एनाटॉमी कक्षाओं में CADAVERकी उपलब्धता तीन चिकित्सा महाविद्यालयों (पावापुरी, बेतिया एवं मधेपुरा) में नियमानुसार नहीं है, जिससे पठन–पाठन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है। पूर्व में भी विभाग के द्वारा जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से लावारिश शव नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। निदेश दिया गया कि प्राचार्य/अधीक्षक जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर Cadaver की कमी को दूर करने का प्रयास करे।

साथ ही पावापुरी एवं मधेपुरा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य को निदेश दिया गया कि इस सप्ताह पोस्टमार्टम की सेवा की शुरूआत कर विभाग को सूचना उपलब्ध करायें। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विभाग के स्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन–प्राचार्य एवं प्राचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)

(6) **दवाओं की उपलब्धता**–सभी चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षकों को निदेश दिया गया कि डी0भी0डी0एम0एस0 पोर्टल पर औषधियों एवं अन्य सामाग्रियों की मांग नियमित ढ़ंग से प्रेषित करें, जिससे अस्पतालों में दवाओं की कमी न हो । साथ–ही एम0डी0, बी0एम0एस0आई0सी0एल0 को भी निदेश दिया गया कि Fast moving drug and Emergency medicine की उपलब्धता को सतत बनाये रखें।

@

अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर को सुपरस्पेशलिस्ट भवन में OPD सेवा के साथ–साथ IPD सेवा की भी ...ात करने एवं सुपरस्पेशिलियटी ब्लॉक के Annual Maintenance हेतु BMSICL को पत्र लिखने के संबंध में निदेशित किया गया।

(अनुपालन– अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल एवं बी0एम0एस0आई0सी0एल0)

अन्यान्य

- चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक को निदेशित किया गया कि दीदी की रसोई /सुलभ शौचालय / ऑक्सीजन प्लॉट/ साफ–सफाई / शुद्ध पेयजल/ मरीज एवं परिजनों को अस्पताल से मिलने वाली सभी प्रकार की सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रदान किया जाय तथा समय–सभय पर सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा कर प्रतिवेदन विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन–अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग

(अनुपालन–अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)

- विभाग को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के परिसर के आस–पास प्रायः निजी एम्बूलेंस चालक/ पैथोलौजी/ निजी जाँच संस्थानों के लोग घूमते रहते हैं। ऐसे लोग मरीजों के परिजनों को गुमराह कर निजी विकित्सा संस्थानों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। सभी अधीक्षकों को स्थानीय जिला प्रशासन से सहयोग प्राप्त कर उचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी प्राचार्य/अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय)

<u>सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।</u>

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
27/1/2026

ज्ञापांकः– 1/विविध–01/2025–131(1) पटना, दिनांकः– 29/01/2026
प्रतिलिपिः– माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रबन्ध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

28/1/26

(हिमांशु शर्मा)
विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना